Newspaper Clips

May 31, 2013

Indian Express ND 31/05/2013
P-8

Faculty attrition hits IIT Rajasthan, 23 leave in 3 years

ANUBHUTI VISHNOI
NEW DELHI, MAY 30

When an IIT starts to lose its faculty, it is indeed a cause for alarm. In the last three years, 23 faculty members have moved out of IIT Rajasthan to more established IITs in bigger cities. The institute is one of the eight new IITs set up by the UPA government. Though the sanctioned faculty strength is 90, the IIT has only 48.

Though none of the new IITs are doing any better when it comes to faculty vacancies, the high attrition rate in IIT Rajasthan has become a cause of concern for the institute's Board of Governors (BoG). In the last 5-6 months alone, five faculty members have resigned.

Sources at the IIT point to initial assessments that show that the exodus has much to with aspirations of faculty members who find limitations in the location of the institute. Many of them feel it is better to opt for an institute in a more urban location as places like Jodhpur offer limited chances of job for their spouses and educational opportunities for children. Trends show that most them left for established IITs that offer better professional experience and opportunity.

The IIT board is now analyzing this trend to counter it and also attract new faculty. BoG Chairman Prof Goverdhan Mehta was first to discover the trend. He has already held a meeting with the faculty members in a bid to hear their woes and also counsel them. It is learnt that the BoG has sought a report from the institute's administration on the issue.

"In the last board meeting, we were informed that five faculty members had quit IIT Rajasthan in the last 5-6 months. When a new IIT which has less than 50 faculty members, even five exiting is bad news. We are concerned and have started working on precautionary steps to arrest this downslide", said Mehta.

Incidentally, IIT Rajasthan has not been able to attract many senior faculty members and has a large number of young members as assistant or associate professors. The institute is also waiting for a new director after the incumbent Prof Prem Kalra resigned on personal reasons.

Hindustan ND 31/05/2013 P-13

कानपुर से लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

आईआईटी कानपुर से लखनऊ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा गुरुवार को विधिवत रूप से शुरू हो गई। देश में पहली बार किसी शिक्षण संस्थान को सीधे हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ा गया है।

इस सेवा को रिकॉर्ड ढाई महीने में मिली मंजूरी के पीछे दो मुख्य वजह हैं। पहली, आईआईटी और मर्चेंट चैंबर के प्रयास और दूसरा, हेलीकॉप्टर कंपनी पवनहंस के चेयरमैन व सीएमडी अनिल श्रीवास्तव आईआईटी कानपुर के ही पूर्व छात्र हैं।

इस सेवा के शुरुआती तीन महीने के ट्रायल का खर्च आईआईटी खुद उठाएगा। इसके बाद 24 सीटर एमआई हेलीकॉप्टर उड़ाने का फैसला भी किया जा सकता है। इस सेवा के शुरू होने के मौके पर आईआईटी निदेशक प्रो. इंद्रनील मन्ना, पवनहंस के चेयरमैन अनिल श्रीवास्तव, प्रोजेक्ट इंचार्ज एके घोष, मर्चेंट चैंबर के वाइस चेयरमैन आईएम रोहतगी व महासचिव अनीता झा भी मौजूद थे। निदेशक इंद्रनील ने कहा कि कानपुर से लखनऊ के बीच सड़क मार्ग बेहद मुश्किल भरा है। अमौसी से आईआईटी पहुंचने में चार घंटे लग जाते हैं।

होगी सहूलियत

- दोपहर 1.28 बजे हेलीकॉप्टर ने टीम को लेकर भरी ट्रायल उड़ान
- हेलीकाप्टर सेवा से जुड़ने वाला पहला शिक्षण संस्थान बना कानपुर आईआईटी

Business Line ND 31/05/2013 P-14

High Court quashes AICTE notices against IIPM

Press Trust of India

New Delhi, May 29

The Delhi High Court today quashed show-cause notices issued to the Indian Institute of Planning and Management (IIPM) by the All India Council for Technical Education (AICTE) for running MBA and BBA courses without its approval, saying the technical body has no jurisdiction over the institution.

"We don't see any merit in the submission of the counsel for the respondent (AICTE). In view of the judgement of the Supreme Court in the case of Association of Management of Pvt colleges, clearly AICTE is not concerned with the courses run by the petitioner (IIPM). As per the findings recorded by the respondent, the petitioner is said to be running MBA, BBA courses. Hence, AICTE would have no jurisdiction.

"In view of the above, we quash the notices of...and the communication of June 20, 2007," the court said.

The court's order came on a writ petition filed by IIPM seeking a direction against AICTE on the ground that the institute is engaged in conducting planning and entrepreneurship courses which are non-professional and non-technical and AICTE's approval is not required to run such courses.

Hindustan ND 31/05/2013 P-14

नेट में पास दो लाख छात्र हो गए फेल

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

यूजीसी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) का रिजल्ट घोषित होने के बाद परीक्षा को पास करने के नियम बदल दिए। इससे परीक्षा पास करने वाले करीब दो लाख छात्र फेल कर दिए गए।

लेकिन यूजीसी की इस मनमानी के खिलाफ छात्रों ने अदालत की शरण ली और अदालत ने छात्रों के हक में फैसला दिया। लेकिन यूजीसी छात्रों को राहत देने के मूड में कतई नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। यूजीसी के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि यदि मानक नहीं बदलते तो हमें ढाई लाख छात्रों को पास करना पड़ता। पूर्व में भी कई मामलों में कोर्ट के आदेश हैं कि परीक्षा होने से पहले नियम तय किए जाएं। हो जाने के बाद नियम नहीं बदलें।

लेकिन 30 जून 2012 को हुई नेट परीक्षा के लिए जो नियम तय किए गए उन्हें सितंबर में रिजल्ट आने के बाद बदला गया। परीक्षा से पहले घोषित नियमों के अनुसार नेट परीक्षा में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को उत्तीर्ण होने के लिए दो विषयों में 40-40 तथा एक विषय में 50 फीसदी अंक हासिल करने होंगे। जबकि ओबीसी के लिए यह सीमा 35-35 तथा 45 रखी गई। अजा/जजा और विकलांगों के लिए यह 35-35 तथा 40 फीसदी रखी गई।

बदलाव से परेशानी

- राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा परिणाम घोषित करने के बाद यूजीसी ने बदले नियम
- मद्रास हाईकोर्ट ने पुराने नियम से छात्रों को सफल घोषित करने का दिया आदेश

18 सितंबर 2012 को परीक्षाफल घोषित होने के बाद यूजीसी ने 19 सितंबर को पास होने के मानक बदल दिए। इसमें सामान्य श्रेणी के लिए तीनों विषयों में 65 फीसदी, ओबीसी के लिए 60 और अन्य के लिए 55 फीसदी रख दिया गया। नतीजा यह हुआ कि पहले करीब ढाई लाख छात्रों ने परीक्षा पास की थी लेकिन नए मानमों से करीब दो लाख छात्र फेल हो गए और 57 हजार ही सफल हो पाए।

यूजीसी के अधिकारी ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाना पड़ा कि ढाई लाख छात्रों को सफल घोषित करते तो वे बेरोजगारी बढ़ाते। दूसरे, यूजीसी से पहले ही थोड़ी चूक रही। तीसरे, यूजीसी ने विज्ञापन में स्पष्ट किया था कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक सीमा रखी गई है। लेकिन न्यूनतम अंक लाने वाले कितनों नेट क्वालिफाई घोषित किया जाए, इसके लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी।